संख्या- 35 /2019/661/24-1-19-81 पी/2015

प्रेषक:

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कार्यवाहक निदेशक,
विद्युत सुरक्षा निदेशालय,
विभूति खण्ड, गोमतीनगर लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 29 मार्च, 2019**

विषय:-विद्युत सुरक्षा निदेशालय को वित्तीय वर्ष 2018-19 में पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त निदेशक, विद्युत सुरक्षा निदेशालय के पत्र संख्या-661 मु/एक-5(बजट)/2018-2019, दिनांक 14 मार्च, 2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक 2045-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क-103-संग्रहण प्रभार- विद्युत शुल्क-03- विद्युत सुरक्षा निदेशालय के मानक मद-04-यात्रा व्यय- में प्राविधानित धनराशि रूपये 22,00,000/- (रूपये बाईस लाख मात्र) में से धनराशि रूपये 7,00,000/- (रूपये सात लाख मात्र), मानक मद-09- विद्युत देय में प्राविधानित धनराशि रूपये 17,00,000/- (रूपये सत्रह लाख मात्र) मे से धनराशि रूपये 2,00,000/- (रूपये दो लाख मात्र) एवं मानक मद-52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष में प्राविधानित धनराशि रूपये 1,95,00,000/- (रूपये एक करोड़ पंचान्नबें लाख मात्र) में से धनराशि रूपये 6,00,000/- (रूपये छः लाख मात्र) अर्थात कुल धनराशि रूपये 15,00,000/- (रूपये पन्द्रह लाख मात्र) को मानक मद- 01- वेतन में संलग्नक बी0एम0-9 के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से वेतन मद हेतु स्वीकृत कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति निम्नलिखत शर्तों के अधीन प्रदान करते है:-

(1) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उस मद में पुन: अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी तथा स्वीकृत कार्य पर ही धनराशि व्यय करेंगे।

(2) पुनर्विनियोग की जाने वाली धनराशि का सदुपयोग उसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(3) पुनर्विनियोग मात्र बजट की उपलब्धा हेतु सुनिश्चित किया जा रहा है, जिसका उपभोग विद्युत सुरक्षा निदेशालय के संबंधित अधिकारी द्वारा वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए करेंगे।

(4) पुनर्विनियोग की जाने वाली धनराशि का सदुपयोग वित्तीय वर्ष में न करने और उसके फलस्वरूप होने वाले आडिट आपत्ति हेतु विद्युत सुरक्षा निदेशालय के संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(5) किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमित्ता का उत्तरदायित्व विद्युत सुरक्षा निदेशालय के संबंधित अधिकारी का होगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उपरोक्त धनराशि का व्यय शासन द्वारा पूर्व निर्धारित नियमों/आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30 मार्च, 2018 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा तथा क्षेत्रीय/जोनल कार्यालयों के लिए धनराशि का तत्काल आवंटन कर शासन को अवगत कराया जायेगा।

3- आय-व्ययक को आकस्मिक मदों में व्यय एवं वस्तुओं को क्रय करते समय उ0प्र0 स्टोर परचेज रूल्स तथा शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत मितव्ययता संबंधी आदेशों का पालन विशेष ध्यान रख कर किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्ष "2045-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क-103-संग्रहण प्रभार-विद्युत शुल्क-03-विद्युत सुरक्षा निदेशालय" के नामे डाला जायेग।

संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीय,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

संख्या-35/2019 /661(1)/24-1-19, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज।
3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/
7- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in